न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–4, सीकर(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः -- **विरेन्द्र कुमार मीणा** (UID No.RJ00512)

RJS{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

सेशन संख्या -- 186/2024

C.I.S. No. -- 186/2024

C.N.R. No. -- RJSK01-001290-2024

F.I.R. No. -- 186/2021 पुलिस थाना लोसल

राजस्थान राज्य **–अभियोगी**

बनाम

त्रिलोकाराम निठारवाल पुत्र दानाराम, निवासी वार्ड नं०–33, सरदार पटेल महाविद्यालय के पास, लोसल, पुलिस थाना लोसल, जिला–सीकर(राजस्थान)

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353, 333 भारतीय दण्ड संहिता।

****प्रकरण का संक्षिप्त विवरण****

अपराध की तिथि	29.10.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	29.10.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	14.12.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	26.09.2024
साक्ष्य आरम्भ किए जाने की तिथि	18.10.2024
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	23.06.2026
निर्णय की तिथि	24.06.2026

दण्ड दिए जाने की तिथि(यदि कोई हो तो)	–

अभियुक्त/अभियुक्त का विवरण–

अभियुक्त का क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिए गए दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023(धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	त्रिलोकाराम निठारवाल	31.10.2021	02.11.2021	**332, 353, 353** भारतीय दण्ड संहिता।	दोषमुक्त	–	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क–अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञा साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी)
P.W.–1	राज जाजवत	परिवादी/आहत
P.W.–2	टिकमचंद	परिवादी/आहत
P.W.–3	रमेशचंद	फर्द गिरफ्तारी गवाह
P.W.–4	राकेश गढवाल	चश्मदीद गवाह व नक्शा मौका
P.W.–5	डॉ० श्रवण कुमार	चिकित्सीय गवाह
P.W.–6	अरविन्द भूकर	चश्मदीद गवाह
P.W.–7	दिनेश कुमार चांदा	चश्मदीद गवाह व नक्शा मौका गवाह
P.W.–8	दिलीप कुमार	फर्द गिरफ्तारी
P.W.–9	भवानी शंकर	अनुसंधान अधिकारी
P.W.–10	सीताराम	तहरीरी रिपोर्ट को संबंधित पुलिस थाने में अग्रेषित करने व कर्मचारीगण के पदस्थापन बाबत् गवाह

ख–प्रतिरक्षा साक्ष्य (यदि कोई हो तो)

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञा साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी)
–––	–––	–––

ग–न्यायालय साक्ष्य(यदि कोई हो तो)

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञा साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी)
–––	–––	–––

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क–अभियोजन

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श P–1	तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021
2	प्रदर्श P–2	चाक FIR संख्या 186 दिनांक 29.10.2021
3	प्रदर्श P–3	नक्शा मौका घटनास्थल दिनांक 30.10.2021
4	प्रदर्श P–4	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त त्रिलोकाराम दिनांक 31.10.2021
5	प्रदर्श P–5	चोट प्रतिवेदन आहत राज जाजवत दिनांक 29.10.2021
6	प्रदर्श P–6	एक्सरे प्लेट आहत राज जाजवत
7	प्रदर्श P–7	एक्सरे रिपोर्ट आहत राज जाजवत दिनांक 30.10.2021
8	प्रदर्श P–8	चोट प्रतिवेदन आहत टिकमचंद दिनांक 29.10.21
9	प्रदर्श P–9	ज्वाइनिंग लेटर दिनांक 22.10.2021 दिनेश कुमार चांदा
10	प्रदर्श P–10	ज्वाइनिंग लेटर दिनांक 12.07.2018 राज जाजवत
11	प्रदर्श P–11	नियुक्ति आदेश दिनांक 13.07.2018 टीकम चन्द
12	प्रदर्श P–12	अतिरिक्त कार्यभार आदेश दिनांक 28.02.2019 राकेश गढ़वाल
13	प्रदर्श P–13	अतिरिक्त कार्यभार आदेश क्रमांक 10311–17 दिनेश कुमार चांदा

14	प्रदर्श P–14	थानाधिकारी द्वारा ई.ओ. नगरपालिका, लोसल को जारी पत्र

ख–प्रतिरक्षा(यदि कोई हो तो)

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
NIL	NIL	NIL

ग–न्यायालय(यदि कोई हो तो)

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
–––	–––	–––

घ–माल विषय

क्रम संख्या	माल विषय संख्या	माल का विवरण
NIL	NIL	NIL

<u>उपस्थितः–</u>

- श्री धर्मेन्द्र सिंह कुड़ी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।
- श्री जैसराज जाखड़, श्री महेन्द्र नागा, विद्वान अधिवक्तागण, वास्ते अभियुक्त।

****निर्णय**** **दिनांकः –24.06.2026**

1. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादीगण दिनेश कुमार चांदा, कनिष्ठ अभियंता, राकेश गढवाल फायरमैन, राज जाजवट, सफाई कार्मिक व टिकमचंद पण्डित, सफाई कार्मिक द्वारा संयुक्त रूप से अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मंडल, लोसल के समक्ष प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श P–1, अधिशाषी अधिकारी की पृष्ठांकनशुदा पुलिस थाना लोसल पर इस आशय की प्राप्त हुई किः–

> "... आज दिनांक 29.10.2021 को समय लगभग 01.15 पी.एम. पर नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता श्री दिनेश कुमार चांदा के साथ कृषि भूमि नियमन की पत्रावलियों में मौका जांच हेतु वार्ड नम्बर 35 में सरदार पटेल

महाविद्यालय की पत्रावली की मौका जांच हेतु मौके पर गये । मौके पर कनिष्ठ अभियंता के बताये अनुसार फीता डालकर नाप कर रहे थे। उसी दरमियान महाविद्यालय के पास के पड़ौसी तिलोकचंद मिठारवाल आये एवं बिना कुछ कहे ही नगरपालिका कार्मिक टिकमचन्द पण्डित सफाई कार्मिक के पैरों पर लाठी से वार किया जिससे टिकम चंद के बायें पैर पर चोट आयी व पालिका कार्मिक राज जाजवट सफाई कार्मिक के सिर के ऊपर लाठी से वार करने की कोशिश की जिससे दांये हाथ पर गम्भीर चोट आयी है । यदि राज जाजवट अपना हाथ सिर के आगे नहीं करता तो सिर पर गम्भीर चोट आ सकती थी । कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार चांदा द्वारा हमलावर को कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं । जिस पर हमलावर द्वारा वाद–विवाद किया एवं काम नहीं करने दिया, इस घटना के समय दिनेश कुमार चांदा, राकेश गढवाल, राज जाजवत,टिकम चंद व अरविन्द भूकर सरदार पटेल महाविद्यालय उपस्थित थे । उक्त हमलावर द्वारा प्राणघातक हमला किया एवं राजकार्य में बाधा डाली है ... आदि।"

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना लोसल में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2021 पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 332, 353, 333 भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपर्युक्तानुसार ही अपराधों बाबत् प्रसंज्ञान लिया गया।

3. बहस चार्ज सुनने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध धारा 332, 353, 333 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए ऊपर वर्णित सारणी के अनुसार गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

5. अभियुक्त के कथन धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत लेखबद्ध किये गये तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य का

खण्डन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाना बताते हुए जाहिर किया कि परिवादीगण उसकी जमींन में बिना अनुमति व बिना बताये दीवार कूदकर घुसे थे। उसने कोई मारपीट नहीं की एवं बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त/बचाव पक्ष की ओर से मौखिक बहस के दौरान सार रूप में उनका कहना है कि वास्तव में अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूठा प्रकरण में आलिप्त किया गया है। परिवादीगण स्वयं ने लोक सेवक की हैसियत से सरदार पटेल महाविद्यालय में कार्य करना बताया है, अभियुक्त द्वारा उक्त कॉलेज में प्रवेश ही नहीं किया गया, बल्कि उल्टा परिवादीगण ने स्वयं ही अभियुक्त के खेत में दीवार फांदकर घुसना स्वीकार किया है। परिवादीगण बिना किसी अनुमति के उसके खेत की सीमा में घुसे है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। आहतगण के उसकी ओर दीवार फांदकर गिरने से चोटें कारित हुई है। उसके द्वारा परिवादी पक्ष के साथ लाठी से कोई मारपीट नहीं की गई है। प्रकरण में लाठी को अभियोजन की ओर से बरामद भी नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान परस्पर विरोधाभासी कथन करते है। कुछ दीवार से कूदकर आना कहते है तो कुछ रास्ते से अभियुक्त के खेत में आना कहते है। सभी गवाहान परस्पर हितबद्ध गवाहान है, प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अंत में अभियोजन का सम्पूर्ण प्रकरण पूर्णतः संदेहास्पद (Doubtful) होना बताते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क रखा कि पत्रावली पर आयी साक्ष्य सामग्री से अभियोजन कहानी की पुष्टि होती है। अन्त में अभियुक्त को दोष सिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष के उपर्युक्त तर्कों–वितर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू ये हैं किः–

(1) आया अभियुक्त ने दिनांक 29.10.2021 को समय करीब 01.15 पी.एम. बजे वार्ड नम्बर 35, सरदार पटेल महाविद्यालय, लोसल के पास नगर पालिका लोसल के

कार्मिकगण टिकमचंद पण्डित व राज जाजवत को बरवक्त घटना लोकसेवक होकर लोक कर्तव्य का निर्वहन करना जानते हुए उनको फीता डालकर नाप संबंधी राजकार्य करते हुए लोकसेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहतियां कारित की, लोक कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से उनके साथ मारपीट कर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी होगा ?

9. विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में अपना मामला साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहान परीक्षित हुए हैं, जिनकी साक्ष्य सार रूप में निम्न प्रकार हैः–

10. गवाह पी.ड. 1 राज जाजवट परिवादी व आहत है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये है कि वह दिनांक 29.10.2021 को समय दोपहर 1.15 बजे के करीब नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार चांदा के साथ कृषि भूमि नियमन की पत्रावलियों की मौका जांच हेतु वार्ड नम्बर 35 में सरदार पटेल महाविद्यालय की पत्रावली के मौका जांच हेतु मौके पर गये थे। मौके पर अभियंता के बताये अनुसार नाप कर रहे थे। उसी समय महाविद्यालय के पास में पड़ोसी त्रिलोकचन्द निठारवाल आया और बिना कुछ कहे ही नगरपालिका कार्मिक टीकमचन्द पण्डित व उसके उपर लाठी से हमला कर दिया। त्रिलोकचन्द ने जब उसके सिर पर लाठी से वार किया तो उसने हाथ से बीच–बचाव कर लिया, जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई व टीकमचन्द के पैर पर लाठी से हमला किया था, जिससे उसके पैर पर भी चोट आई। उक्त घटना के समय मौके पर दिनेश कुमार चांदा, राकेश गढ़वाल, अरविन्द भूकर उपस्थित होने तथा इन्हीं के सामने घटना कारित होना बताया है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 02, घटना का नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल दिनांकित 30.10.2021 प्रदर्श पी 03 होना व उसका मेडिकल व एक्स–रे क्रमशः प्रदर्श पी.5, 6 व पी.7 लोसल के राजकीय अस्पताल में होना कथन किया है।

11. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किये है कि वे कॉलेज में से, उसने जो दीवार प्रदर्श पी.3 में बताई है, उसको फांदकर प्रदर्श पी.3 में मार्क डी से दर्शित खेत में कूदे थे। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी.3 में दर्शित खेत उस कॉलेज वाले का नहीं था। गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि उसके हाथ पर चोट दीवार पर से कूदने पर आई हो। गवाह स्वयं के बीच बचाव में चोट आना तथा उसके अलावा और किसी के द्वारा बीच बचाव नहीं करना बताया है तथा बाकि लोगों का बाद में आना बताया है। उसके चोट लगने के बाद खून नहीं आया था, केवल हड्डी में फ्रेक्चर हुआ था। गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि दीवार को फांदते समय उसका हाथ नीचे आ गया हो और चोट लग गयी हो।

12. इस प्रकार इस गवाह के बयानों के अवलोकन से दर्शित है कि यह गवाह नगरपालिका लोसल का सफाई कर्मचारी होकर प्रकरण का मुख्य आहत है, जिसने अपने बयानों में भूमि नियमन के संबंध में मौका जांच के लिए सरदार पटेल महाविद्यालय में जाना तथा वहां पर जांच के लिए अनाधिकृत रूप से दीवार फांदकर पड़ोसी अभियुक्त त्रिलोकाराम के खेत में घुसने पर त्रिलोकाराम द्वारा लाठी से वार करना बताया है। किन्तु उक्त सफाईकर्मी नाप चौक के लिए मौके पर किस आदेश के तहत गया, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

13. गवाह पी.ड. 02 टीकमचन्द पंडित भी परिवादी व आहत है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये है कि दिनांक 29.10.2021 को समय दोपहर 01.15 बजे के करीब नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता श्री दिनेश कुमार चांदा के साथ कृषि भूमि नियमन की पत्रावलियों के मौका जांच हेतु वार्ड नम्बर 35 में सरदार पटेल महाविद्यालय की पत्रावली के मौका जांच हेतु मौके पर गये थे। मौके पर अभियंता के बताये अनुसार नाप कर रहे थे। उसी समय महाविद्यालय के पास में पड़ोसी त्रिलोकचन्द निठारवाल आया और उसके पीछे से उसके पैर पर लाठी से वार किया। उसका बीच–बचाव करते समय राज जाजवट के हाथ पर चोट लग गई थी। घटना के समय मौके पर दिनेश कुमार चांदा, राकेश गढ़वाल व कॉलेज के प्रिंसिपल अरविन्द जी भूकर उपस्थित थे। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, घटना का मौका नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी.03 होना व उसका मेडिकल प्रदर्श पी.8 लोसल के राजकीय अस्पताल में होना कथन किये है।

14. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किये है कि उसके चोट लगने से खून नहीं आया था। वे कॉलेज से जिस दीवार को फांदकर खेत में कूदे थे, उस दीवार की ऊंचाई 7 फीट थी। गवाह स्वीकार करता है कि यदि व्यक्ति 10 फीट से गिर जाये तो चोट आ सकती है। राज जाजवत के चोट उसका बीच बचाव करने पर लगी थी। पुलिस ने जेल में उस व्यक्ति की कोई पहचान परेड नहीं करवायी थी।

15. इस प्रकार इस गवाह के बयानों के अवलोकन से भी यही दर्शित है कि इस गवाह ने दिनेश कुमार JEN के निर्देश पर सरदार पटेल महाविद्यालय में जाकर मौके पर नाप चौक करना तथा कॉलेज की 7 फीट ऊंची दीवार को कूदकर अनाधिकृत रूप से पड़ोसी खेत में जाने पर उसके द्वारा उसके व राज जाजवत के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है। यह गवाह भी नगर पालिका, लोसल का सफाई कर्मचारी है और इस कर्मचारी के मौके पर नाप चौक के लिए जाने के संबंध में कोई सरकारी आदेश पत्रावली पर नहीं है।

16. गवाह पी.ड. 04 राकेश गढवाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि दिनांक 29.10.2021 को वह नगरपालिका लोसल में फायरमैन के पद पर कार्यरत था। उस दिन नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार चांदा के साथ कृषि भूमि की नियमन पत्रावलियों के मौका जांच हेतु समय करीब दिन के 01.15 बजे राज जाजवट सफाई कर्मी व टीकमचन्द पण्डित सफाई कर्मी के साथ वार्ड नं. 35 सरदार पटेल महाविद्यालय लोसल की पत्रावली में मौका जांच हेतु गये थे। मौके पर दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियंता के बताये अनुसार फीता डालकर वे नाप–चैक कर रहे थे। उस समय महाविद्यालय का पड़ौसी त्रिलोकचन्द निठारवाल आया व बिना कुछ कहे ही टीकमचन्द पण्डित सफाई कर्मी के पैरों पर लाठी की मारी, जिससे टीकमचन्द के बायें पैर के घुटने के पास चोट आई तथा राज जाजवट सफाईकर्मी के सिर पर लाठी से वार किया। सफाईकर्मी ने अपने दाहिने हाथ से लाठी को रोक लिया, जिससे उसके दाहिने हाथ पर चोट आई। सफाईकर्मी राज जाजवट अपना दाहिना हाथ उपर नहीं करता तो उसके सिर पर गंभीर चोट आ सकती थी। तब कनिष्ठ अभियंता ने त्रिलोकचन्द को कहा कि आप गलत कर रहे हो और त्रिलोकचन्द उनके साथ भी इस बाबत् वाद–विवाद करने लग गया। उस वक्त मौके पर सरदार पटेल महाविद्यालय सीकर का संचालक भी मौजूद था। उसके पुलिस में दिनांक 30.10.2021 को बयान हुये थे। उसके सामने घटना का नक्शा

मौका प्रदर्श पी 03 बनाया जाना कथन किये है।

17. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह फायरमेन के पद पर कार्यरत है और उसका कार्य जहां कहीं भी आग लगती है, तो उसे बुझाने का होता है। गवाह स्वीकार करता है कि पत्रावली में उसकी लोसल नगरपालिका में पदस्थापन बाबत् कोई दस्तावेज नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि वे सरदार पटेल महाविद्यालय से प्रदर्श पी.3 में जो त्रिलोकाराम का खेत व मकान दिखाया गया है, उसमें दीवार फांदकर गये थे और वे खेत मालिक की बिना अनुमति के डंडा फांदकर कूदे थे। त्रिलोकाराम की मजिस्ट्रेट के सामने कोई पहचान परेड उससे नहीं करवायी थी।

18. इस प्रकार इस गवाह ने स्वयं को नगरपालिका लोसल का फायरमैन बताते हुए मौके पर नाप चौक के लिए जाना तथा अनाधिकृत रूप से पड़ोसी त्रिलोकाराम के खेत में दीवार फांदकर घूसने पर उसके द्वारा मारपीट किये जाने के कथन किये है, किन्तु उक्त फायरमैन को मौके पर उक्त कार्य के लिए भेजे जाने के संबंध में कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है।

19. गवाह पी.ड. 07 दिनेश कुमार चांदा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 29.10.2021 को नगरपालिका लोसल में कनिष्ठ अभियंता के पद पर अतिरिक्त कार्यभार पर था। वह मौके पर सरदार पटेल महाविद्यालय लोसल की नियमन की पत्रावली की नाप–चौक के लिए गया था। उसके साथ राज जाजवत, टीकमचन्द पण्डित, राकेश गढ़वाल गए थे तथा नाप–चोक कर रहे थे। मौके पर उसी समय त्रिलोकाराम निठारवाल आया और बिना कुछ कहे कर्मचारी टीकमचन्द पण्डित के पैरों पर लाठी से मारी। टीकमचन्द के बांयें पैर पर घुटनों के पास चोट आई थी तथा राज जाजवत ने भागकर बीच–बचाव का प्रयास किया तो उसी समय त्रिलोकाराम ने उस पर भी लाठी से उसके सिर पर वार किया तो राज ने हाथ से लाठी को रोकने का प्रयास किया तो उसके हाथ पर गंभीर चोट आई। उसके सामने पुलिस ने घटना के दूसरे दिन घटनास्थल पर हुई मारपीट का नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 बनाया जाना कथन किया है।

20. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किये है कि यह सही है कि उसका पदस्थापन आदेश व नियुक्ति पत्र पत्रावली पर नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि हस्तगत पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि तथाकथित घटना के दिन वह ड्यूटी पर हो और उक्त दिनांक को वह सरदार पटेल कॉलेज में मौका निरीक्षण करने

गया हो। वह सरदार पटेल कॉलेज के क्षेत्रफल का नाप करने गया था। गवाह आगे कहता है कि यह कहना गलत है कि राज जाजवत व टीकमचन्द पण्डित त्रिलोकाराम के खेत में कॉलेज की दीवार फांदकर गये हो अजखुद कहा कि कॉलेज से निकलकर लाल स्याही से दर्शित एक्स स्थान से होकर लाल स्याही से दर्शित वाई स्थान पर गये थे। गवाह राज जाजावत व टीकमचन्द पण्डित दोनों का सफाई कर्मचारी होना कहता है। गवाह स्वीकार करता है कि नाप चौक का काम सफाई कर्मचारियों का नहीं होता है।

21. इस प्रकार इस गवाह के बयानों के अवलोकन से ये दर्शित है कि यह गवाह अपने बयानों में ये स्वीकार करता है कि प्रकरण में परिवादीगण का मौके पर लोक सेवक की हैसियत से जाने के संबंध में कोई सरकारी आदेश पत्रावली पर नहीं है। ये गवाह आहतगण राज जाजवत व टीकमचन्द के कथनों से भिन्न कथन करते हुए, आहतगण का कॉलेज की दीवार फांदकर त्रिलोकाराम के खेत में जाने के बजाये, कॉलेज के रास्ते से त्रिलोकाराम के खेत में जाना कहता है।

22. गवाह पी.ड.06 अरविन्द भूकर चश्मदीद गवाह होकर सरदार पटेल महाविद्यालय का संचालक है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि दिनांक 29.10.2021 को नगरपालिका लोसल के कनिष्ठ अभियन्ता दिनेश जी व कर्मचारी राकेश जी फायरमैन, टीकमचन्द व राज जाजवट महाविद्यालय के पट्टे से संबंधित महाविद्यालय की जमीन का नाप–चौक करने आये थे। नाप–चौक करते समय दक्षिण की तरफ की दीवार का नाप लेने के लिए दीवार की दूसरी तरफ त्रिलोकराम जी के खेत में जाकर नाप लेने लगे, जिसमें टीकमचन्द व राज दीवार का नाप ले रहे थे। उनके नाप लेते समय त्रिलोक जी हाथ में लाठी लेकर आये और अचानक ही उन दोनों पर लाठी से वार कर दिया, जिससे टीकमचन्द के पैर में चोट आई और राज के सिर पर मारने लगे तो उसने हाथ उपर किया तो उसके हाथ में चोट लगी। जेईएन दिनेश द्वारा बीच–बचाव कर छुड़ाना कथन किया है।

23. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने इन कर्मचारियों का उनके कॉलेज में लगभग 1.30 बजे आकर नाप चौप करना बताया है। गवाह स्वीकार करता है कि उसके सामने जेईएन दिनेश द्वारा कोई बीच बचाव नहीं किया गया। नाप चौक करने वाले व्यक्ति प्रदर्श पी.3 में लाल स्याही से दर्शित जेड स्थान से होकर त्रिलोकाराम के खेत में गये थे, अजखुद कहा कि लाल स्याही से दर्शित टी मार्क से होकर गये थे। गवाह स्वयं बीच बचाव करने से

इंकार करता है। गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि वह त्रिलोकाराम की जमीन लेना चाहता हो और इस आधार पर उसने दिनेश वगैरह से मिलकर जमीन हड़पने की गरज से त्रिलोकाराम पर ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

24. गवाह पी.ड.10 सीताराम तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लोसल ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 29.10.2021 को दिनेश कुमार चांदा कनिष्ठ अभियन्ता, राकेश कुमार फायरमैन, राज जाजवट सफाई कर्मचारी एवं टीकमचन्द पंडित सफाई कर्मचारी द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट उसके नाम से राजकार्य में बाधा डालने एवं प्राणघातक हमला करने बाबत् उसके समक्ष पेश किये जाने पर उसने अपने कार्यालय रजिस्टर में रिकॉर्ड इन्द्राज कर उस पर क्रमांक नम्बर डाल कर संबंधित थानाधिकारी को दर्ज करने हेतु अपने कार्यालय के सील मुहर मय हस्ताक्षरशुदा, राज जाजवट व टीकमचन्द पंडित को दे दी थी, जो प्रदर्श पी.01 होना, उसके कार्यालय आदेश, जो दिनेश कुमार चांदा कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका लोसल में जोईनिंग लेटर प्रदर्श पी.09, राज जाजवट सफाई कर्मचारी का जोईनिंग लेटर प्रदर्श पी 10, टीकमचन्द पंडित सफाई कर्मचारी का नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी.11, कर्मचारी राकेश गढवाल फायरमैन का रिलीव आदेश प्रदर्श पी.12 होना, दिनेश कुमार चांदा कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका खाटुश्यामजी व नगरपालिका लोसल में अतिरिक्त कार्य करने हेतु अधिकृत करने का आदेश पत्रांक प्रदर्श पी.13 होना, जो शामिल पत्रावली होना कथन किये है।

25. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किये है कि उसका पदस्थापन व नियुक्ति आदेश पत्रावली में शामिल नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि फायरमैन का कार्य आग बुझाने का होता है एवं सफाईकर्मी का कार्य सफाई करना होता है। अजखुद कहा कि कार्य व्यवस्था व कार्य संतुलन हेतु उक्त कर्मचारियों की मदद ली जाती है, किन्तु ऐसा कोई अतिरिक्त कार्य के संबंध में कोई आदेश उक्त दोनों व्यक्तियों से अतिरिक्त कार्य करवाया जा सकता हो, पत्रावली में नहीं है। प्रदर्श पी.9, 10 व पी.11 मूल नहीं है और न ही इन पर ये नोट अंकित है कि उसने इनको सत्यापित किया हो और न ही यह अंकित है कि उसने इनका मूल से मिलान किया था।

26. इस प्रकार इस गवाह के बयानों के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण के आहतगण व चश्मदीद गवाहान जो सफाईकर्मी व फायरमैन है, वे मौके पर नाप चौक का कार्य करने के लिए किस आदेश से गये, ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है।

27. गवाह पी.ड.05 डॉ. श्रवण कुमार चिकित्सीय गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 29.10.2021 को पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब राज जाजवत का मेडिकल मुआयना कर उसके शरीर पर चोट संख्या 1 दांयी बांह और कलाई पर सूजन और चोट थी, जिसका एक्स–रे करवाया गया। एक्स–रे में दांयी कलाई की हड्डी अल्ना में फ्रेक्चर पाया गया, इसलिए यह चोट गंभीर प्रकृति की थी और भोंटे हथियार से कारित की गई थी। ललाट के बीच में पुरानी चोट का निशान था। चोटों का मेडिकल मुआयना चोट लगने के 6 घण्टे के भीतर किया गया था। मजरूब राज जाजवत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.05 होना व राज जाजवत की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 होना, मजरूब राज जाजवत के एक्स–रे रिपोर्ट की राय प्रदर्श पी.07 होना कथन किये है।

28. गवाह पी.ड. 05 डॉ. श्रवण कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे ये भी कथन किये है कि मजरूब टीकमचन्द पण्डित का मेडिकल मुआयना भी उसके द्वारा किया गया था। जिसकी चोट संख्या 1 दायें घुटने के पीछे 6 गुणा 3 सेमी. का लाल नीलगू निशान था। यह चोट सामान्य प्रकृति की थी और भोंटे हथियार से कारित की गई थी। चोट की अवधि 6 घण्टे के भीतर की थी, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 होना कथन किया है।

29. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.5 में जो चोट दर्शित है, उसके संबंध में दर्द की शिकायत मजरूब झूठी भी कर सकता है, अजखुद कहा कि सुजन थी। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी.6 में दर्शित चोट व प्रदर्श पी.7 में दर्शित अस्थिभंग यदि कोई व्यक्ति कुछ ऊंचाई से कठोर धरातल पर गिरे और उसका हाथ नीचे आ जाये तो उक्त अस्थिभंग से इंकार नहीं किया जा सकता। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी.8 में वर्णित स्वकारित हो सकती है।

30. इस प्रकार चिकित्सीय गवाह के बयानों के अवलोकन से दर्शित है कि इस गवाह ने मजरूबान को कारित चोटें ऊंचाई से कठोर धरातल पर गिरने पर आने की संभावना से इंकार नहीं किया है।

31. गवाह पी.ड.09 भवानी शंकर तत्कालीन ए एस आई. हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान करने का गवाह है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 29.10.2021 को परिवादी दिनेश कुमार चांदा कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका लोसल, राकेश गढ़वाल फायरमैन, राज जाजवट सफाई कर्मचारी, टीकमचन्द पंडित

सफाई कर्मचारी द्वारा एक टाईप शुदा रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लोसल की पृष्ठांकनशुदा पुलिस थाना लोसल में दिनांक 29.10.2021 को दर्ज हेतु दिये जाने पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर हस्तगत मुकदमा धारा 332, 353 भा.द.सं.दर्ज कर तफ्तीश स्वयं के जिम्मे करना, टाईप शुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 होना, चाक एफ.आई.आर.प्रदर्श पी.02 होना कथन किये है।

32. गवाह पी.ड.9 भवानी शंकर ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे ये भी कथन किये है कि उक्त प्रकरण के अनुसंधान के दौरान उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी.03 तैयार करना, दिनांक 31.10.2021 को अभियुक्त त्रिलोकाराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 04 के गिरफ्तार करना, मजरूबान राज जाजवट व टीकमचन्द पंडित की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर उनके चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी.05 व पी.6 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना, प्रदर्श पी.5 पर ए से बी डॉक्टर की चिकित्सीय राय होना, मजरूब राज जाजवट की एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 व उसकी एक्स रे रिपोर्ट की राय प्रदर्श पी.07 होना तथा मजरूब टीकमचन्द पंडित का चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी.08 होना, दौराने अनुसंधान नगरपालिका लोसल के ई.ओ. को तहरीर प्रदर्श पी.14 जारी कर दिनेश कुमार चांदा का कार्यालय आदेश प्रदर्श पी.09, राज जाजवट का कार्यालय आदेश प्रदर्श पी.10, टीकमचन्द पंडित का नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी.11, राकेश गढ़वाल का कार्यालय आदेश प्रदर्श पी.12, दिनेश कुमार चांदा का अतिरिक्त कार्य करने हेतु आदेश प्रदर्श पी.13 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना व अपने अनुसंधान से अभियुक्त त्रिलोकाराम के विरूद्ध धारा 332,333,353 भा.द.संहिता में अपराध प्रमाणित पाकर पत्रावली थानाधिकारी के सुपुर्द करना, जिनके द्वारा उक्त धाराओं में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश करना कथन किये है।

33. प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किये है कि दिनेश कुमार चांदा कनिष्ठ अभियंता, राज जाजवत व राकेश गढ़वाल का नियुक्ति पत्र पत्रावली में नहीं है एवं टीकमचंद का पदस्थापन आदेश पत्रावली में नहीं है। इस पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे यह प्रतीत हो कि तथाकथित कर्मचारीगण उक्त कार्य के लिए कहीं पर गये हो। कर्मचारीगण सरदार पटेल कॉलेज से त्रिलोकाराम के खेत में प्रदर्श पी.3 में दर्शित दीवार फांदकर गये थे। गवाह स्वीकार करता है कि किसी भी भू स्वामी के खेत या भूमि में उसकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता।

34. गवाह पी.ड.3 रमेशचन्द्र व गवाह पी.ड. 08 दिलीप कुमार तत्कालीन कॉस्टेबल अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी के गवाहान है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 31.10.2021 को हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त त्रिलोकाराम निठारवाल को लोसल थाना के परिसर के पास से गिरफ्तार करना, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04 होना कथन किये है। प्रतिपरीक्षा में इन गवाहान ने उच्चाधिकारियों के कहने पर फर्द गिरफ्तारी पर हस्ताक्षर किये जाना कथन किया है।

35. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण प्रदर्श पी.1 तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना लोसल पर परिवादी आहतगण द्वारा दर्ज करवाने पर उत्पन्न हुआ है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में आहतगण पी.ड.1 राज जाजवत व पी.ड.2 टीकमचंद पण्डित को आहत होना जाहिर करते हुए उक्त आहतगण को अपने लोक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने एवं उनके साथ स्वेच्छया साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित कर अपराध कारित किया जाना जाहिर किया है। इस संबंध में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को मौके पर प्रकरण के आहतगण को वक्त घटना लोकसेवक के रूप में कार्य करने का तथ्य संदेह से परे साबित करना है। इस संबंध में प्रकरण के आहतगण एवं चश्मदीद गवाहान के बयानात का अवलोकन करे तो उपरोक्त बयानों के अनुसार गवाह पी.ड.1 राज जाजवत, पी.ड.2 टीकमचंद , गवाह पी.ड.4 राकेश गढ़वाल, पी.ड.7 दिनेश कुमार चांदा व गवाह पी.ड.10 सीताराम ने आहतगण को बरवक्त घटना लोक सेवक के रूप में कार्य किये जाने का कथन किया है। प्रकरण में प्रदर्श पी.9 लगायत पी.14 के जरिये आहतगण को लोक सेवक होना जाहिर किया गया है। यदि पत्रावली का अवलोकन करे तो घटना दिनांक 29.10.2021 की होना अभियोजन ने जाहिर किया है और घटना के समय सरदार पटेल महाविद्यालय, लोसल की नियमन पत्रावली के संबंध में मौके पर नाप चौक करने हेतु जाना कथन किया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो दिनांक 29.10.2021 को प्रकरण के आहतगण व अन्य लोकसेवक गवाहान लोक कर्तव्य के निर्वहन में मौके पर गये हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण के आहतगण व चश्मदीद लोक सेवकों की उस दिन की उपस्थिति पंजिका अथवा कोई कार्यालय आदेश अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आहतगण किस आदेश के जरिये मौके पर गये हो व घटना के दिन मौके पर वे लोक

सेवक के रूप में उपस्थित रहे हो। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण के आहतगण व अन्य चश्मदीद गवाह बतौर लोकसेवक घटना के समय अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो। ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं करने के कारण प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर ही संदेहास्पद हो जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि जिस नियमन पत्रावली के संबंध में उक्त लोकसेवक कर्मचारियों का मौके पर नाप चौक करने के लिए जाने का तथ्य जाहिर किया गया है, उक्त नियमन पत्रावली अथवा उससे संबंधित कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय पटल पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

36. जहां तक आहतगण के कारित चोटों का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त कर्मचारी सरदार पटेल महाविद्यालय, लोसल पर नाप चौक करने गये थे तथा अभियुक्त त्रिलोकाराम का खेत उक्त कॉलेज के पास होकर सींव पर 6–7 फीट की दीवार होना तथा उक्त कर्मचारियों का उक्त दीवार से कूदकर अभियुक्त त्रिलोकाराम के खेत में जाने पर त्रिलोकाराम द्वारा लाठी से उनके साथ मारपीट करना बताया है, जिससे आहत गवाह पी.ड.1 राज जाजवत के दाहिने हाथ की अलना हड्डी में हेयर लाईन का अस्थिभंग होना तथा आहत गवाह पी.ड.2 टीकमचंद के दांये पांव पर नीलगू चोट होना जाहिर किया गया है। किन्तु इस संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य का अवलोकन करे तो आहतगण के कारित चोटें दीवार से कूदकर गिरने से आने की संभावना से चिकित्सीय गवाह पी.ड.5 डॉ० श्रवण कुमार ने इंकार नहीं किया गया है। ऐसे में आहत को कारित चोटें अभियुक्त द्वारा की गई मारपीट में ही कारित हुई हो, यह संदेह से परे साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त उक्त लाठी की दौराने अनुसंधान जब्ती ही नहीं की गयी है।

37. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान घटना के तथ्यों के संबंध में आपस में विरोधाभासी कथन कर रहे है, जिनमें आहत गवाह पी.ड.1 राज जाजवत व पी.ड.2 टीकम चंद ने अपने बयानों में सरदार पटेल महाविद्यालय की दीवार को फांदकर अभियुक्त के खेत में घुसना बताया है, जबकि अन्य गवाह जिनमें गवाह पी.ड.7 दिनेश कुमार चांदा एवं पी.ड.6 अरविन्द भूकर द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 में वर्णित कॉलेज के रास्ते से होकर आहतगण का अभियुक्त के खेत में जाना बताया है। ऐसे में उक्त कथनों से भी यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि

आहतगण किस प्रकार से अभियुक्त के खेत पर गये थे। जबकि अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं ने परिवादीगण का अनाधिकृत रूप से कॉलेज की दीवार फांदकर अभियुक्त त्रिलोकाराम के खेत में घुसना स्वीकार किया है। ऐसे में आहतगण ने किस प्राधिकार अथवा अनुमति से अभियुक्त के खेत में 6–7 फीट की दीवार फांदकर प्रवेश किया, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है।

38. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियोजन संदेह से परे यह साबित कर पाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.10.2021 को समय करीब 01.15 पी.एम. पर वार्ड नम्बर 35, सरदार पटेल महाविद्यालय, लोसल के पास नगर पालिका लोसल के कार्मिकगण टिकमचंद पण्डित व राज जाजवत को बरवक्त घटना लोकसेवक होकर लोक कर्तव्य का निर्वहन करना जानते हुए उनको फीता डालकर नाप संबंधी राजकार्य करते हुए लोकसेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहतियां कारित की, लोक कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से उनके साथ मारपीट कर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं स्वेच्छया घोर उपहति कारित की हो। अतः अभियुक्त आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

39. अतः अभियुक्त त्रिलोकाराम निठारवाल पुत्र दानाराम, निवासी वार्ड नं०–33, सरदार पटेल महाविद्यालय के पास, लोसल, पुलिस थाना लोसल, जिला–सीकर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 332,353,333 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

40. अभियुक्त द्वारा धारा 437(ए) दं.प्र.संहिता (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय की दिनांक से 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

(विरेन्द्र कुमार मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–4, सीकर (राज.)
(UID No.RJ00512)

41. निर्णय आज दिनांक–24.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विरेन्द्र कुमार मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–4, सीकर (राज.)
(UID No.RJ00512)